राजस्थान सरकार

आबकारी विभाग

क्रमांक :–प.32(बी)(1)आब/एल/2021–22/2318 दिनांक : 19.02.2021

देशी मदिरा, विदेशी मदिरा एवं बीयर की कम्पोजिट रिटेल ऑफ दुकानों के अनुज्ञापत्र हेतु ई–नीलामी आमंत्रण सूचना :–

1 राज्य में देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL) एवं बीयर की रिटेल ऑफ दुकानों (कम्पोजिट दुकानों) के अनुज्ञापत्र जारी करने हेतु आबकारी विभाग, राजस्थान द्वारा ई–नीलामी आमंत्रण सूचना दिनांक 07 फरवरी, 2021 को जारी की गई है।

2 इच्छूक बोलीदाता को ई–नीलामी में भाग लेने हेतु ई–बोली की निर्धारित नीलामी की दिनांक से एक दिन पूर्व को रात 11:59 पी.एम. तक एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाईट **https://www.mstcecommerce.com** पर नियमानुसार पंजीयन कराना होगा, जो पूर्णतया निःशुल्क है। पंजीयन एवं आवेदन की प्रकिया दिनांक 12.02.2021 से प्रारम्भ हो चुकी है।

3 ई–नीलामी की दिनांक से पूर्व आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि निर्धारित प्रकिया अनुसार एम.एस.टी.सी. लिमिटेड, जयपुर के खाते में जमा करानी होगी।

4 दुकान की श्रेणी अनुसार प्रति दुकान हेतु आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि निम्नानुसार है :–

क्रं सं.	दुकानों की श्रेणी	आवेदन शुल्क (रूपये में)	अमानत राशि (रूपये में)
1	वर्ष 2021–22 के लिए 50 लाख रूपये तक न्यूनतम रिजर्व प्राईस वाली दुकान	40000/–	50000/–
2	वर्ष 2021–22 के लिए 50 लाख रूपये से अधिक एवं 02 करोड तक न्यूनतम रिजर्व प्राईस वाली दुकान	50000/–	100000/–
3	वर्ष 2021–22 के लिए 02 करोड रूपये से अधिक न्यूनतम रिजर्व प्राईस वाली दुकान	60000/–	200000/–

5 ई–नीलामी (ई–बोली) भारत सरकार के उपक्रम एम.एस.टी.सी. लिमिटेड द्वारा विभिन्न पांच चरणों में आयोजित की जायेगी।

6 ई–नीलामी का दिनांक व समय इस प्रकार है :–

क्रं सं.	नीलामी की दिनांक	नीलामी का समय
1	23.02.2021	प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
2	24.02.2021	प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
3	25.02.2021	प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
4	26.02.2021	प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
5	27.02.2021	प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक

7 नीलामी एक कार्य दिवस में न्यूनतम पांच घण्टे की होगी एव उसके पश्चात् जब तक बोली लगती रहे तब तक 10 मिनट के अन्नत विस्तार (indefinite extension) तक जारी रहेगी।

8 इच्छूक बोलीदाता को रिजर्व प्राईज से कम से कम 5000/–रू. बढाकर बोली लगानी होगी। बोली प्रारम्भ होने के बाद पिछली बोली राशि से भी कम से कम 5000/–रू. बढाकर बोली लगानी होगी।

9 इच्छूक बोलीदाता रिजर्व प्राईज/पिछली बोली (Last Bid Amount) राशि से 5 प्रतिशत से अधिक राशि बढाकर बोली नही लगा सकेगा।

10 इच्छूक बोलीदाता एक से अधिक यानि सभी दुकानों के लिये बोली में भाग ले सकेगा।

11 सफल बोलीदाता के पक्ष में नियमानुसार एक जिले में दो व राज्य में पांच दुकाने ही स्वीकृत की जा सकेगी।

12 बोलीदाता कम्प्यूटर/लैपटॉप को इन्टरनेट से जोड कर घर, कार्यालय, ई-मित्र सेन्टर तथा साइबर कैफे के माध्यम से ई-नीलामी में भाग ले सकता है।

13 अन्य समस्त शर्ते आबकारी विभाग, राजस्थान द्वारा ई-नीलामी आमन्त्रण सूचना दिनांक 07 फरवरी, 2021 एवं इस संबंध में किये गये संशोधन के अनुसार यथावत रहेगी।

14 दुकानों की सूची, रिजर्व प्राईज, अमानत राशि, विस्तृत दिशा-निर्देश, शर्ते आदि विभागीय वेबसाईट **https://www.rajexcise.gov.in** एवं एम.एस.टी.सी. लिमिटेड की वेबसाईट **https://www.mstcecommerce.com** पर देखी जा सकती है।

15 ई-नीलामी में भाग लेने हेतु पंजीयन/आवेदन में आने वाली समस्याओं के निराकरण तथा विस्तृत जानकारी हेतु संबंधित जिला आबकारी अधिकारी/आई.टी. अनुभाग से सम्पर्क किया जा सकता है तथा इस हेतु मुख्यालय स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष के टोल फ्री नम्बर 1800-180-6436 से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(डॉ जोगाराम, IAS)
आबकारी आयुक्त,
राजस्थान उदयपुर

क्रमांकः प.32(बी)(1)आब / एल / 2021–22 / 2318 दिनांक : 10.02.2021

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान।
2. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान।
3. सयुंक्त शासन सचिव, वित्त (आबकारी) विभाग, राजस्थान।
4. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (नीति), आबकारी विभाग, उदयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, आबकारी विभाग, राजस्थान।
6. ब्रांच मेनेजर, एम.एस.टी.सी. लिमिटेड, जयपुर।
7. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), आई.टी. अनुभाग, उदयपुर।
8. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन समस्त.......................।
9. जिला आबकारी अधिकारी समस्त...............................।

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान उदयपुर